संतोष कुमार सिंह एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील नं. 1263 वर्ष 2001)

01 फरवरी, 2008

{डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम }

बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1961-धारा 10(3), 32 ए-प्रारूप प्रकाशन की तैयारी-प्राधिकारियों द्वारा आपत्तियों का निर्धारण-हालाँकि अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ। -1982 अधिनियम द्वारा संशोधन अन्तर्विष्ट-पूर्व में तैयार किये गये प्रारूप अभिवचनों की पुनरावत्ति-प्रारुप के प्रकाशन पर आपत्तियां-

निर्धारित: निर्धारित समय के भीतर लिया जा सकता है और अधिकारियों को धारा 10 की उपधारा 3 के आधार पर उन पर विचार करने की आवश्यकता होती। धारा 10 में साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी प्रावधान है। -इसलिये यह तर्क उठाया जाना कि जो व्यक्ति आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है वह पर्याप्त अवसर से वंचित रह गया था, व्यर्थ है। -बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1961

01- भूमि धारक "बी"के परिवार के खिलाफ बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1961 के तहत कार्यवाही शुरु की गई थी। 'के' पुत्रवधु एवं 'बी' 'डी' 'बी' की पौत्री थी। उक्त भूमि सुधार वाद में प्रारूप प्रकाशन के बाद एवं बी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निर्धारण किये जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये। जिसके विरूद्ध उपरोक्त वर्णत व्यक्तियों ने पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। पूनरीक्षण अधिकारी द्वारा 'बी' कुछ आपत्तियां स्वीकार की गई एवं अन्यों को खारिज किया। हालांकि अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ था। बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) संशोधन अधिनियम 1982 के द्वारा अधिनियम में संशोधन किये जाने के बाद अधिनियम की धारा 10 के प्रकम से मामले को नये सिरे से लिया गया। नई कार्यवाही के प्रक्रम पर आपत्तियां उठाई गई थीं।

02- पुत्रवधु पौत्री एवं पुत्रियों को अनुग्रहित समय में दान में दी गई भूमियों का वर्गीकरण एवं बहिष्करण किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने आपत्ति के भाग को स्वीकार कर दो पुत्रियों के पक्ष में दान में दी गई भूमि को बाहर रखे जाने का आदेश दिया एवं भूमि के वर्गीकरण से संबंधित आपत्ति को खारिज किया। अपील में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आपत्ति के भाग को स्वीकार किया गया। कुछ भूमि जो पूर्व में वर्ग-1 में वर्गीकत की गई थी उसे सही नहीं किया जाना निर्धारित किया। हालांकि वर्गीकरण के

अन्य भाग को वैध निर्धारित किया गया। दो पुत्रियों के पक्ष में किये गये दानव को पुष्ट किया गया। परन्तु पौत्रियों व प्रपोत्री के पक्ष में किये गये दान को समाप्त करने के दावे को खारिज किया गया। उनके विरूद्ध पुनरीक्षण खारिज की गई। रिट याचिका भी खारिज की गई। रिट अपील में यह आधार लिया गया कि संशोधित प्रावधान यानि धारा 32ए और 32 बी का प्रभाव ध्यान में नहीं रखा गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि कोई जांच नहीं की गई थी और ऐसा नहीं किये जाने पर विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अरक्षणीय नहीं था। डिवीजन बैंच को याचिका में कोई सार नहीं मिला और अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में रिट अपील खारिज कर दी गई।

इस न्यायालय में अपील के दौरान अपीलकर्ता ने कहा कि संशोधन के वास्तविक प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि प्रारूप वक्तव्य दोहराया जाता तो धारा 32ए और 32बी जोडने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके अनुसार जांच की आवश्यकता थी और धारा 6, 8 और 9 के तहत उपबंधित प्रक्रियओं को अपनाया जाना था।

अपील को खारिज किये जाते समय न्यायालय ने निर्धारित किया कि:- बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1961 की धारा 32ए- को पढने से पता चलता है कि जहां धारा-8 या धारा 16 की उपधारा 3 के तहत पारित आदेश के

अतिरिक्त उत्पन्न होने वाली अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम के प्रभाव में आने के समय लंबित है तो वह उपशमित हो जायेगी, परन्तुक महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित करता है कि कलक्टर धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार मामले को नये सिरे से आगे बढायेगा। धारा 10 की उपधारा -1 प्रारूप वक्तव्य की तैयारी से संबंधित है। उपधारा 3 काफी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रावधान है कि जब उपधारा 1 के खण्ड (ए)(बी)(सी)और (डी) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्रारूप बयान पर कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर की जा सकती है । उपधारा (2) के तहत प्रारूप विवरण या उसकी सेवा, जो भी बाद में हो, जब मामले में दावा या रूचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा पसन्द किया जायेगा तो कलक्टर द्वारा विचार किया जायेगा और साक्ष्य पेश करने का उचित अवसर देने के बाद कलक्टर इसे पारित करेगा। जैसा उचित समझे वैसा आदेश देगा। भले पहले तैयार किये गये मसौदा बयान की पुनरावत्ति है लेकिन धारा 10 की उपधारा 3 के तहत आपत्ति करने की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। यदि नोटिस प्राप्तकर्ता को निर्दिष्ट मामलो के संबंध में प्रारूप अभिकथनों के किसी भी हिस्से पर कोई आपत्ति है तो उसे निर्धारित अवधि के भीतर किया जा सकता है और अधिकारियों को उन पर विचार करना आवश्यक है इसमें साक्ष्य पेश करने का भी प्रावधान है। ऐसा होने पर यह तर्क कि जो व्यक्ति आपत्ति उठाना चहाता है उसे पर्याप्त अवसर से वंचित कर दिया गया है निराधार है। (पैरा8-9) (289-सी.एच., 290-ए, बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं.1263 वर्ष 2001 पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. नं. 572/1999 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 10.12.1999 के विरूद्ध,

अपीलकर्ता की ओर से पी.एस मिश्रा, एच., उपेन्द्र मिश्रा, आर.सी. प्रकाश, सुनीता रानी सिंह एवं राजेश प्रसाद सिंह।

प्रत्यर्थी की ओर से मनीष कुमार एवं गोपाल सिंह।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में अपीलकर्तओं द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है।

2. तथ्यात्मक विवाद बहुत ही संकीर्ण दायरे मे है। भूमिधारक बुध प्रकाश सिंह के परिवार के खिलाफ बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण)अधिनियम, 1961 (संक्षेप मेंअधिनियम) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। श्रीमती कमला देवी बहू और श्रीमती बागेश्वरी देवी उक्त बुध प्रकाश सिंह की पोती थी। उक्त भू-हरबंदी वाद संख्या 23/73-74 में प्रारूप प्रकाशन के बाद एवं बुध प्रकाश सिंह की आपत्ति पर विचार के बाद एलआरडीसी, में बाद द्वारा आदेश आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध उपरोक्त व्यक्तियों ने पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। आदेश दिनांक 07.04.1977 द्वारा

पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पुनरीक्षण वाद संख्या 1986/76 में बुध प्रकाश सिंह की कुछ आपत्तियों को स्वीकार कर लिया, परन्तु कुछ आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। हालांकि, चूंकि अंतिम प्रकाश नहीं किया गया था, (संशोधन अधिनियम), मामले को अधिनियम की धारा 10 के चरण से नये सिरे से लिया गया था। कार्यवाही के चरण में निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई:

(ए) भूमि का वर्गीकरण ठीक से नहीं किया गया था।

(बी) जो जमीनें उनके बेटे चितरंजन प्रसाद सिंह (अब दिवंगत) की थी, उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

(सी) बहु श्रीमती कमला देवी को उपहार में दी गई भूमि, पोती श्रीमती बागेश्वरी को उपहार में दी गई भूमि और दो बेटियों अर्थात निर्मला कुमारी और शशिबाला को अनुग्रह अवधि के भीतर उपहार में दी गई भूमि को बाहर रखा जाना चाहिये।

3. एआरडीसी ने आदेश दिनांक 14.05.1984 द्वारा आपत्ति का एक हिस्सा स्वीकार कर लिया और दो बेटियों, अर्थात निर्मला कुमारी और शशिवाला के पक्ष में अनुग्रह अवधि के दौरान उपहार में दी भमि को बाहर करने का आदेश दिया। हालांकि, जमीन के वर्गीकरण से जुडी आपत्ति समेत बाकी आपत्तियां खारिज कर दी गई। एक सीलिंग अपील दायर की गई और अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 10.09.1985 के आदेश द्वारा आपत्ति का एक

हिस्सा स्वीकार कर लिया । कुछ भूमियां जिन्हें पहले वर्ग-1 भूमि के रुप में वर्गीक़ृत किया गया था, उनका उचित निपटान नहीं किया गया था। हालॉकि वर्गीकरण के दूसरे भाग को वैध माना गया। दोनों पुत्रियों के पक्ष में उपहार की पुष्टि की गई, लेकिन बहू कमला देवी और पोती बागेश्वरी देवी के पक्ष में उपहार में दी जमीन को हटाने संबंधी दावा खारिज कर दिया गया। इसके बाद पुनरीक्षण वाद क्रमांक 387/85 को प्राथमिकता दी। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पुनरीक्षण आदेश दिनांक 28.04.1987 द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी और प्राथमिक रूख कुछ भूमि को अधिशेष घोषित करने के लिये किये गये वर्गीकरण से संबंधित था। इसी तरह कमला देवी ओर बागेश्वरी देवी के पक्ष में उपहार नहीं देने पर सवाल उठाया गया। राज्य का रूख यह था कि 1973 में संशोधित भूमि धारक की संशोधित परिभाषा लागू थी। यह बताया गया कि भूमि सीलिंग की कार्यवाही किसी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई थी। परिवार शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखते हुये कमला देवी, बागेश्वरी देवी और चितरंजन प्रसाद सिंह परिवार की परिभाषा में आते हैं ओर उनकी जमीन भी इसमें शामिल है जहां तक वर्गीकरण का सवाल है, यह दिया गया कि सिंचाई सुविधा को ध्यान में रख एवं सम्यक सत्यापन के पश्चात् वर्गीकरण किया गया है।

4. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में

लिये गये रूख में कोई सार नहीं पाया। यह नोट किया गया था कि उपहार बागेश्वरी देवी के पक्ष में तब दिया गया था जब वह लगभग 8 महीने की बच्ची थी इस तरह के कथित उपहार के बाद भी बुद्ध प्रकाश सिंह को किराया भुगतान किया गया था और कथित तौर पर भूमि कमला देवी और बागेश्वर देवी को उपहार में दी जानी थी।, वह बुद्ध प्रकाश सिंह के कब्जे में थी। रिट याचिका खारिज कर दी गई। रिट अपील में, यह रूख अपनाया गया कि संशोधित प्रावधानों यानी धारा 32ए और 32 बी का प्रभाव ध्यान में नहीं रखा गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि जांच नहीं की गई थी ओर ऐसा नहीं किये जाने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अरक्षणीय नहीं था। डिवीजन बेंच को याचिका में कोई सार नहीं मिला और अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में, रिट अपील खारिज कर दी गई।

5. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता ने कहा कि संशोधन के वास्तविक प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि प्रारूप वक्तव्य दोहराया जाता तो धारा 32ए और 32बी जोडने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी जांच की आवश्यकता थी और धारा 6, 8 और 9 के तहत उपबंधित प्रक्रियओं को अपनाया जाना था।

6. दूसरी ओर, उत्तरदातओं के विद्वान वकील ने आदेशों का समर्थन किया।

7. इस समय, अधिनियम की धारा 10, 11, 32ए और 32बी पर

ध्यान देना उचित होगा वे इस प्रकार पढते है,

10. प्रारुप विवरण की तैयारी , -(1) धारा 6, 8, 9 के तहत भूमि धारक द्वारा या उसकी ओर से दी गई जानकारी या धारा 7 के तहत कलेक्टर द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्धारित तरीके से जांच करने पर कलेक्टर निम्नलिखित विवरण दिखते हुये एक मसौदा विवरण तैयार करवायेगा,

(ए) ऐसी भूमि क्षेत्र और विवरण-

(1) भूमि धारक द्वारा धारित प्रत्येक वर्ग की भूमि और उसके द्वारा चयनित भूमि जिसे वह अपने सीमा क्षेत्र में शामिल करना चाहता है :

(11) उसके पासस मौजूद बाग और सघन खण्डो में मौजूद बाग, जिनें वह बनाये रखना चाहता है,

(111) वासभूमि भूमि और ऐसी संरचनओं के उपयोग और आनंद के लिये आवश्यक भूमि सहित पक्की संरचनाएं, जाे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि पर उसके पास थी, और ऐसी भूमि पक्की संरचनाए, जिसमें पक्के उपयोग और आनन्द के लिये आवश्यक भूमि शामिल है, सरचनाएं जिन्हें वह बनये रखना चाहता है ;

(बी) खण्ड (ए) में प्रत्येक श्रेणी की भूमि का क्षेत्रफल और विवरण, जिसे कलेक्टर द्वारा धारा-5 के तहत ए को रखने और भूमि धारक द्वारा

धारण करने एवं बनाये रखने की अनुमति दी गई है;

(सी) भूमि का क्षेत्र और विवरण जासे धारा-5 के तहत अनुमत सीमा से अधिक है और जिसे भूमि धारक इस अधिनियम के तहत रखने या बनाये रखने का हकदार नहीं है (इसके बाद इसे अधिशेष सी कहा जायेगा) ;

2.(सी-1)धारा-5 की उपधारा (1)के खण्ड (ii)के प्रावधानों के अनुसार या उसके उल्लघंन में भूमि धारक द्वारा हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्र और विवरण;

(सी-2)धारा 5 की उपधारा (1) के सी खण्ड (iii) के तहत कलेक्टर के निष्कर्षों का सार,

(सी-3) धारा 29 के तहत छूट के संबंध में सिफारिश और आदेश का सार; और

(डी) कोई अन्य विवरण जो निर्धारित किया जा सकता है। (2) मसौदा विवरण जिले के अधिकारिक राजपत्र में और ऐसे स्थानों पर, और ऐसे तरीके से प्रकाशति किया जाएगा, जैसा निर्धारित किया जा सकता है;

बशर्ते कि प्रारुप विवरण की एक प्रति संबंधित भूमिधारकों या उनके अभिभावकों या संरक्षकों को, जैसा भी मामला हो, पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा दी जाएगी जो इस तरह के नोटिस की सेवा का निर्णायक सबूत

होगा। 3 उपधारा (1) के खण्ड (ए), (बी), (सी) और (डी)में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में मसौदा बयान पर कोई आपत्ति उपधारा 2 के तहत मसौदा बयान के प्रकाशन या सेवा के जो भी बाद में हो, 30 दिन के अंदर मामले में दावा या हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, उस पर कलेक्टर द्वारा विचार किया जाएगा, जो पक्षकारों को सुनने और सबूत पेश करने का उचित अवसर देने के बाद, यह जैसा उचित समझे आदेश पारित करे।

बशर्ते कि कलक्टर किसी आवेदन पर एच भूमि- धारक या भूमि पर दावा या हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा आपत्ति दाखिल करने की अवधि को और पन्द्रह दिनों के लिये बढा दिया जाता है।

11. प्रारुप विवरण का अंतिम प्रकाशन-(1) जब धारा 10 की उपधारा (3) के तहत कोई आपत्ति या दावा, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है, तो कलेक्टर चाहे कोई अधिशेष भूमि हो या नहीं प्रारूप विवरण में ऐसा परिवर्तन जो आपत्ति या दावे पर पारित किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिये आवश्यक हो और उक्त विवरण को परिवर्तन के साथ, यदि कोई हो, करेगा अंतिम रूप से जिले के आधिकारिक राजपत्र में और ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से प्रकाशित किया जाएगा जैसा निर्धारित किया जा सके और निर्धारित तरीके से कलेक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित करके एक प्रति, पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भूमि धारक को भेजी जाएगी ।

(2) निर्धारित तरीके से विधिवत प्रमाणित ऐसे विवरण की प्रतियां कलक्टर द्वारा ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजी जायेगी, जैसा कि उपबंधित किया जा सकता है।

32ए- अपील पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ का निवारण- धारा 8 या धारा 16 की उपधारा (3) के तहत पारित आदेश से उत्पन्न होने वाली अपील,पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ के अलावा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष (बिहार भूमि सुधार सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) (संशोधन अधिनियम, 1982) के प्रारम्भ की तारीख पर लंबित है, समाप्त हो जायेगा। बशर्ते कि इस तरह की छूट पर कलेक्टर धारा 10 के प्रावधारों के अनुसार मामले को नये सिरे से आगे बढायेगा:

बशर्ते कि धारा 16 की उपधारा (3) की धारा 8 के तहत पारित आदेशों उत्पन्न होने वोली ऐसी अपील, पुनरीक्षण समीक्ष्ा या संदर्भ जो बिहार भूमि सुधार (सीमा क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1981 का बिहार अध्यादेश संख्या 66) की धारा 13 के तहत समाप्त हो गया है, उचित प्राधिकारी के समक्ष स्वत: बहाल हो जाएगा।

32-बी नई कार्यवाही की शुरआत--धारा 32 ए में संदर्भित अपील पुनरीक्षण समीक्षा या संदर्भ के अलावा वे सभी कार्यवाही जो बिहार भूमि सुधार (सीलिंग क्षेत्र का निर्धारण और अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) के

प्रारम्भ होने की तिथि पर लंबित है, संशोधन अधिनियम, 1982 और जिसमें अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत अंतिम प्रकाशन, जैसा कि पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले था, नहीं किया गया था को अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से निस्तारण किया जाएगा।

8. धारा 32-ए को पढने से पता चलता कि जहां धारा-8 या धारा 16 की उप-धारा (3) के तहत पारित आदेश से उत्पन्न होने वाली अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या संदर्भ किसी भी प्राधिकारी के समक्ष लंबित है। अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, वीं समापत हो जाएगा। परन्तुक महत्वपूर्ण है, यह निर्धारित करता है कि कलेक्टर धारा-10 के प्रावधानों के अनुसार मामले को नए सिरे से आगे बढायेगा। अपीलकर्तओं के लिये विद्वान वकील द्वारा दी व्याख्या यह है कि नए सिरे से अभिव्यक्ति के उपयोग का मतलब है कि जो कुछ भी पहले किया गया था उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिये। और इसमें शामिल पक्षों के वर्गीकरण और स्थिति सहित सभी पहलओं पर नए सिरे से विचार करना होगा। धारा 10 की उपधारा (1)मसौदा बयान की तैयारी से संबंधित है। उपधारा (3) काफी महत्वपूर्ण है, यह प्रदान करता है कि जब उपधारा (1) के खण्ड (ए), (बी), (सी) और (डी)में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में मसोदा बयान पर कोई आपत्ति उपधारा 2 के तहत मसौदा बयान के प्रकाशन या सेवा के, जो भी बाद में हो, 30

दिन के अंदर मामले में दावा या हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा विचार किया जाएगा और साक्ष्य जोडने का उचित अवसर देने के बाद कलेक्टर द्वारा विचार किया जाएगा। जैसा उसचित समझे वैसा आदेश पारित करें। भले ही पहले तैयार कि गये मसौदा वक्तव्य की पुनरावृत्ति है, धारा 10 की उपधारा (3) के तहत प्रदान की गई आपत्ति की गुजाइश अभी भी मौजूद है।

यदि नोटिस प्राप्तकर्ता को निर्दिष्ट मामलो के संबंध में मसौदा बयान के किसी भी भाग पर कोई आपत्ति है, तो निर्धारित अवधि के भीतर लिया जा सकता है और अधिकारियों को उन पर विचार करना आवश्यक है। इसमें साक्ष्य जोडने का भी प्रावधान है ।

9. ऐसा होने पर, यह रुख बेबुनियाद है कि जो व्यक्ति आपत्ति उठाना चाहता उसे पर्याप्त अवसर से वंचित किया गया है ।

10. उपरोक्त स्थिति को देखते हुये, इस अपील में योग्यता नहीं है, इसलिये इसे खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता शर्मा तृतीय (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।